सं० सं०–1/एल०एच०भी०–01/2012–.....14.(1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक : **संजय कुमार,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल,
पटना सिटी।

पटना, दिनांक– 25/ 04 /2012

विषयः–महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय, पटना को गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में वेतन भत्ते एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल– रु० 94,80,400/– (चौरानबे लाख अस्सी हजार चार सौ रूपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निम्नांकित शीर्ष/उप शीर्ष अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय विपत्र क़ोड–N 2210051050011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतन भत्ते एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल– रु० **94,80,400/–** (चौरानबे लाख अस्सी हजार चार सौ रूपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/ वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/ वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0011–महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय विपत्र कोड N 2210051050011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थपित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि से बकाये वेतन विपत्र की निकासी की जा सकेगी, बशर्ते कि अधीक्षक बकाये वेतन विपत्र की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये वेतन की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और उनका दावा नियमानुकूल है तथा नियमित वेतन विपत्र की निकासी में कोई कठिनाई न हो।

7. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

24/4/2012

क्रमशः

8. इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/ अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

9. इस राशि की निकासी उप कोषागार, पटना सिटी से की जाएगी।

10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

14/4/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव।

18/4/12

ज्ञापांकः–1/एल०एच०भी०–01/2012–.....14.(1)ब/स्वा०, पटना, दिनांक– 25/ 04 /2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/ जिलाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, (आपूर्त्ति शखा) पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–1/ संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/4/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव।

18/4/12

महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय विपत्र कोड एन 2210051050011 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन			
विषय शीर्ष	बजट में उपबंधित राशि	वर्त्तमान आवंटन	शेष राशि
01 01 वेतन	5389000	4850100	538900
01 03 जीवन यापन भत्ता	3500000	3150000	350000
01 04 मकान किराया भत्ता	1147000	1032300	114700
01 05 परिवहन भत्ता	134000	120600	13400
01 06 चिकित्सा भत्ता	61000	54900	6100
01 07 अन्य भत्ता	25000	22500	2500
योग– वेतन एवं भत्ते	**10256000**	**9230400**	**1025600**
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50000	25000	25000
11 01 यात्रा व्यय	20000	10000	10000
13 01 कार्यालय व्यय	70000	35000	35000
13 03 दूरभाष	50000	25000	25000
13 04 विद्युत प्रभार	300000	150000	150000
13 06 वर्दी/पोशाक	10000	5000	5000
14 01 किराया महसूल एवं कर	0	0	0
कुल योग ::–	**10756000**	**9480400**	**1275600**

मात्र (चौरानबे लाख अस्सी हजार चार सौ रूपए)

14(1) ब॰
25-4-12

सरकार के संयुक्त सचिव।

18/4/12